



उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

की ओर से परिषद के लखनऊ/ मेरठ/ कानपुर/ आगरा/ बरेली/ वाराणसी व गोरखपुर जोन के शहरों की विभिन्न योजनाओं में

- रिवत फ्री-होल्ड आवासीय एवं अनावासीय सम्पत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर
- रिवत लीज होल्ड शैक्षणिक भूखण्ड एवं सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड भी ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु उपलब्ध

ग्रीन फील्ड टाउनशिप
अयोध्या में भी
होटल, गुप हाउसिंग,
संस्थागत व नर्सिंग होम
भूखण्ड उपलब्ध



रिवत आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों हेतु

**पंजीकरण व टोकन धनराशि
जमा अवधि**
दि. 13.05.2025 से दि. 26.05.2025

ई-नीलामी की तिथि
दि. 27.05.2025

शैक्षणिक भूखण्डों हेतु

पंजीकरण अवधि : दि. 13.05.2025 से दि. 27.05.2025

बैंक द्वारा आवेदकों की सूची एवं आवेदन पत्र
सम्बन्धित जोनल आयुक्तों को प्रेषण तिथि

दि. 28.05.2025 से
दि. 02.06.2025

प्रपत्रों की जांच : दि. 02.06.2025 से 10.06.2025

टोकन धनराशि जमा अवधि
दि. 12.06.2025 से 27.06.2025

ई-नीलामी की तिथि : दि. 30.06.2025

दि. 27.05.2025 की नीलामी में जिन सम्पत्तियों पर एकल बिड प्राप्त होगी, उन्हें आगामी नीलामी में रिटेन किया जायेगा, जिसकी कार्य योजना निम्नानुसार है, एकल बोलीदाता को पुनः रजिस्ट्रेशन धनराशि नहीं जमा करनी है।

नवीन आवेदकों हेतु पंजीकरण व टोकन धनराशि जमा अवधि
दि. 30.05.2025 से 18.06.2025

ई-नीलामी की तिथि : दि. 20.06.2025

ई-नीलामी पोर्टल : <https://upavpauktion.procure247.com/>

अधिक जानकारी के लिए लॉग-इन करें: परिषद की वेबसाइट: www.upavp.in

ई-नीलामी हेतु सम्पर्क करें: 8866287104, 9574524058

नियम व शर्तें : (1) मा० न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। (2) आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर "Other Document" में अपलोड किया जाना होगा। (3) यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण / अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। (4) ई-नीलामी में प्रस्तावित सम्पत्तियों का विवरण परिषद की वेबसाइट एवं ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध होगा। रेटा में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख रेटा पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया गया है। (5) परिषद की समस्त प्रकार की सम्पत्तियां "जहां है जैसे है" के आधार पर निस्तारित की जाएंगी। (6) समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों पर भौतिक कब्जा प्राप्ति के 5 वर्षों के अन्दर मानचित्र स्वीकृत कराते हुये निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। समय निर्माण पूर्ण न किये जाने की दशा में नियमानुसार अनिर्माण शुल्क/ समय वृद्धि शुल्क देय होगा। (7) परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय / अनावासीय/ शैक्षणिक सम्पत्तियों पर निर्णय परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली-2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन लिया जाएगा।

संपत्तियों एवं पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए डायल करें : (टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333, 0522-2236803
Website : <https://www.upavp.in>, E-mail : info@upavp.com

UPHousingBoard

